राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार–2018

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी,(नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– रामसुख गुर्जर RAS

राजस्व वाद संख्या 151/18

केम्प ग्राम पंचायत रसाल

वादी

श्रीकिशन

बनाम

प्रतिवादीगण,

रसाल

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

वाद पत्र धारा 53,88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनॉक :– 30/5/18

वादी के वाद का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादी श्री श्रीकिशन पुत्र [illegible] जाति [illegible] निवासी रसाल तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर का रहने वाला है,वादी का नाम ग्राम रसाल के खाता संख्या/खसरा नम्बर 725 में श्री श्रीकृष्ण पुत्र [illegible] जाति जाट अंकित हो गया है, जो सही नही है। राशनकार्ड/ पहचान पत्र/आधार कार्ड मे सही नाम श्रीकिशन पुत्र [illegible] है, इसलिए उक्त खाता में गलत नाम हटाकर सही नाम का रेकार्ड में दुरूस्ती करने के आदेश फरमावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी की गई। कि वादी के वाद पत्र में अंकित तथ्यो की जांच कर रिपोर्ट कैम्प रसाल में पेश करे। पत्रावली केम्प रसाल में पेश हुई । तहसीलदार की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर शामिल मिसल की गई। वादी ने अपने नाम का रेकर्ड में दुरूस्ती हेतु कैम्प रसाल मे दस्तावेज पेश किये ,जो शामिल मिसल किये । कैम्प में उपस्थित मौतबरान से पूछताछ व वादी के वाद पत्र के संलग्न दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन एवं मनन करने पर वादी का वाद काबिल स्वीकार होने से कैम्प में ही स्वीकार कर आदेश निम्न प्रकार पारित किया गया।

आदेश

ग्राम रसाल तहसील कुचामनसिटी के खाता संख्या/खसरा नम्बर 725 में वादी श्री श्रीकृष्ण पुत्र [illegible] [illegible] निवासी रसाल की जगह वादी का सही नाम श्रीकिशन पुत्र [illegible] जाति [illegible] , निवासी रसाल दुरूस्त किया जाता है, शेष खाता बदस्तूर रहेगा । डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे । राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी हो , मिसल नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनॉक 30/5/18 को सरे आम कैम्प रसाल में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)